<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

अपील एल0 आर0 एक्ट संख्या 24/2021/जिला टोंक

बिहारीलाल पुत्र श्री प्रहलाद गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक।

................अपीलांट

बनाम

1. जिला कलक्टर टोंक
2. उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
3. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
4. राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पलाई जरिये प्रधानाध्यापक तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

................रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय माननीय जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 18.03.2021 बाबत खसरा नम्बर 2239/1034 रकबा 0.83 हे0 में से 0.53 हे0 ग्राम पलाई तहसील उनियारा आदेश क्रमांक एफ 12–3/राजस्व/आवंटन/2021/1994 रा0मा0विधालय पलाई खेल मैदान हेतु आवंटित की गयी।

....

उपस्थित अभि0:–श्री गिरीश शर्मा(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक (राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–15.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक स्थित खसरा नम्बर 2239/1034 रकबा 0.83 हे0 में से 0.53 हे0 भूमि जिला कलक्टर टोंक के द्वारा दिनांक 18.03.2021 को रेस्पोडेंट नम्बर 2 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के प्रस्ताव पर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय को खेल मैदान हेतु भूमि आवंटित की गई है। जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की जा रही है–

1. खसरा नम्बर 2239/1034 ग्राम पलाई 0.64 हे0 भूमि पर संवत 2045 से अपीलांट के पिता प्रहलाद गुर्जर का कब्जाकाश्त चला आ रहा है, पर उसने काफी धन व्यय कर भूमि को झाड़ कर काश्त योग्य बनाया है। वर्तमान में अपीलांट भूमि पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है। अपीलांट को कभी भी विधिवत तरीके से बेदखल नही किया गया है। बेदखल करने का समय कानून समाप्त हो चुका है।

2. आवंटन से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई है तथा आवंटन के दिन भूमि रिक्त नहीं थी।

3. विधालय के नाम पहले से ही खेल मैदान हेतु [illegible] में खसरा नम्बर 329 में 1.81 हे0 भूमि हो रखी है। जिस पर खेल मैदान भी बना हुआ है साथ ही खसरा नम्बर 1983/1022 में 0.50 हे0 भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित [illegible] इस प्रकार तीसरे खेल मैदान की कोई आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:37 IST
Reason: SelfAttested

4. अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष लगातार कब्जेकाश्त के आधार पर एक वादपत्र दायर किया हुआ है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 3 व तहसीलदार उनियारा को है। साथ ही उच्च न्यायालय राजस्थान के समक्ष सिविल रिट याचिका 18468/2018 प्रस्तुत की गई है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट 1 व 3 को है।

5. अपीलांट के कब्जेकाश्त बाबत रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा स्वीकार किया गया कि विवादित खसरा नम्बर काबिजकाश्त नहीं है तथा यह माना है कि उक्त भूमि पर अपीलांट के दादा रामरत्न पुत्र रूपा बाद में उसके पिता प्रहलाद के नाम कब्जाकाश्त था तथा वर्तमान में अपीलांट का कब्जा है तथा ग्राम पलाई में कोई अन्य खातेदारी भूमि दर्ज नहीं है।

6. विधालय के पास नॉमस से ज्यादा भूमि आवंटन के पश्चात हुई है। जबकि नॉमस के अंदर ही आवंटन अपेक्षित था। अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जायें और रेस्पोडेंट 4 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 18.03.2021 ग्राम पलाई बाबत खसरा नम्बर 1139/1034 रकबा 0.53 हे0 को निरस्त किया जायें तथा अपीलांट के पक्ष में आवंटन नियमन करने के लिए निर्देश प्रदान किये जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र तथा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किये गये।

धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपीलांट द्वारा बताया गया कि विधालय के पास खेल मैदान हेतु पहले से ही पर्याप्त भूमि है। विवादित भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा है। वह भूमि काश्तकार है तथा आवंटन नियमों का हकदार है। वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में अपीलांट व्यथित पक्षकार है। अतः अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी थी। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जायें।

प्रार्थी का यह कहना है कि संवत 2045 से विवादित भूमि के 0.63 हे0 पर प्रार्थी के पिता प्रहलाद गुर्जर का और अब वर्तमान में अपीलांट का कब्जाकाश्त है। रेस्पोडेंट को बेदखल कर चारदीवार निर्माण करना चाहता है। जिससे प्रार्थी का अपार क्षति होगी। अतः अपील निस्तारण तक रेस्पोडेंट को कोई निर्माण न करने व अपीलांट को बेदखल न करने बाबत पाबंद किया जायें।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर टोंक दिनांक 18.03.2021 के बाद समय सीमा में अपील हेतु अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। विवादित खसरा नम्बर में से 0.53 हे0 भूमि विधालय को आवंटित हुई है। खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है कि पिता के समय से हम काबिज है। खेल मैदान हेतु दो आवंटन पूर्व में हो रखे है। अधिक भूमि आवंटन के लिए विधालय से दूर है। 2018 में एक नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी के यहां 88, 188 आरटीए में प्रस्तुत किया गया है। अंतरिम निषेधाज्ञा हेतु 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र भी लगाया हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका दायर की गई। [illegible] पूर्व ही नियमन हेतु प्रार्थना पत्र लगाया हुआ है। राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया [illegible] आवंटन जनहितार्थ है। राजकीय भूमि है और अपीलांट क्लेम नहीं कर सकता है। गि[illegible] से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। उपखण्ड अधिकारी के स[illegible] कोई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। अपील खारिज की जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत पी–14 ग्राम पलाई विवादित खसरा नम्बर के अवलोकन से यह पता चलता है कि विवादित भूमि पर पूर्व में अपीलांट के पिता एवं अब अपीलांट का कब्जाकाश्त होने बाबत दस्तावेज संवत 2073 से बाद के नही है। अपील दायरी दिनांक 30.03.2021 को संवत 2077 प्रचलन में था। संवत 2073 से 2077 के बीच की अवधि का कोई पी–14 दस्तावेज अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। अपील दायरी के दिनांक को उसका कब्जा नहीं होने से अपीलांट को व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 का है तथा अपील दिनांक 30.03.2021 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी गई थी। अतः अपील अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात सिवायचक होकर बंजड़ भूमि के रूप में संवत 2073 फसल रबी में विवादित भूमि के 0.63 हे0 में गेहूं की फसल लिया जाना पाया जाता है। तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 47/2018 निर्णय दिनांक 07.01.2019 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा एलआरएक्ट की धारा 91(3) के तहत जिला कलक्टर टोंक न्यायालय में प्रकरण संख्या 6/2019 दर्ज करवाया गया। अपने निर्णय दिनांक 06.02.2020 से अपीलांट को तहसीलदार द्वारा दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त कर दिया गया था। मगर तहसीलदार को उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया था कि अतिक्रमी का पूर्ण रूप से भूमि से कब्जा हटा लिया गया था। अपने निर्णय में विवादित भूमि को पूर्व के खेल मैदान के नजदीक बताया गया। उक्त निर्णय में यह भी लिखा है कि विवादित भूमि से बिहारीलाल ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार उनियारा द्वारा पत्र क्रमांक 66 दिनांक 02.05.2019 से भेजी गई थी। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलांट का मौके पर कब्जा नहीं है तथा उसका प्रथम दृष्टया प्रकरण भी नहीं है। क्योंकि विवादित भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित की जा चुकी है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Condition for (Allotment of Unoccupied Govt. Agricultural Lands for the Construction of Schools, Colleges, Dispensaries, Dharmshalas & other Buildings of Public Utility) 1963 का अवलोकन किया गया। क्लोज 2 में अधिकत्तम क्षेत्र जिसका आवंटन किया जा सकता है। जिसका विवरण दिया गया है। उक्त क्लोज 2 के बिन्दु सी में माध्यमिक विधालय, उच्च माध्यमिक विधालय तथा बीएसटीसी विधालय का उल्लेख किया है। जिस हेतु 7 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा सकता है बाबत उल्लेख है। उक्त भूमि में हॉस्टल भवन, खेल मैदान एवं शिक्षकों हेतु क्वार्टर तथा स्टाप मैम्बर हेतु क्वार्टर सम्मिलित है। उक्त नियम के क्लोज 4 में आवंटन अधिकारी का उल्लेख है। क्लोज 4 (2) के अनुसार जिला कलक्टर सब क्लोज बी (बी–बी) (सी), (ई), (आई), (टी), (यू) दर्शित क्षेत्रफल तक अधिकतम सीमा तक आवंटन कर सकेगा।

जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 18.03.2021 को ग्राम पलाई के राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पलाई के खेल मैदान हेतु खसरा नम्बर 2239/1034 रकबा 0.83 हे0 किस्म बंजर में से 0.53 हे0 भूमि उपर वर्णित नियम 1963 के अन्तर्गत किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर टोंक के पत्र के क्रमांक [illegible] 06.2018 जो उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी उनियारा को लिखा गया है कि बिन्दु संख्या [illegible] के अनुसार विधालय में पूर्व में ही खेल मैदान हेतु 1.81 हे0 भूमि उप[illegible] खसरा नम्बर 260 रकबा 0.35 हे0 , खसरा नम्बर 261 रकबा 0.60 हे0 खसरा नम्बर 223[illegible]1034 रकबा 0.83 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.78 हे0 के प्रस्ताव को भिजवाने पर उनके द्वारा बिन्दु नम्बर 7 में यह आक्षेप

किया गया है–नियमों में उच्च माध्यमिक स्तर के विधालयों के लिए 7 एकड़ यानी 2.84 हे0 भूमि आवंटन का प्रावधान है। विधालय को खेल मैदान हेतु पूर्व आवंटित भूमि रकबा 1.81 हे0 एवं प्रस्तावित रकबा 1.78 हे0 भूमि दोनों को मिलाने पर विधालय के पास कुल 3.59 हे0 भूमि हो जाती है। जो नॉमस से अधिक हो गई है। विधालयों के खेल मैदान हेतु नॉमस के भीतर आवंटन प्रस्ताव निहित है। राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम पलाई के अनुसार खसरा नम्बर 329 रकबा 1.8100 राजकीय माध्यमिक विधालय पलाई के खेल मैदान हेतु दर्ज रिकोर्ड है। अपीलांट द्वारा बताया गया अन्य खसरा नम्बर 1983/1022 रकबा 0.5000 हे0 भूमि ग्राम पलाई जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय पलाई के नाम दर्ज है। ना कि राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पलाई के नाम पर। जिला कलक्टर द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 विवादित खसरा नम्बर 2239/1034 रकबा 0.83 हे0 में से मात्र 0.53 हे0 भूमि ही राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पलाई को खेल मैदान हेतु आवंटित की है। इस प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पलाई के पास खेल मैदान हेतु पूर्व में दर्ज भूमि 1.81 हे0 तथा अपीलाधीन आदेश से आवंटित की गई भूमि 0.53 हे0 का योग 2.34 हे0 होता है। जबकि उक्त विधालय को नॉमस के अनुसार 2.83 हे0 भूमि आवंटित की जा सकती थी। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर टोंक वास्ते खसरा नम्बर 2239/1034 रकबा 0.53 हे0 वास्ते राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पलाई खेल मैदान हेतु किया गया आवंटन आदेश दिनांक 18.03.2021 यथावत रखा जायें।

यह आदेश आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:26:37 IST
Reason: SelfAttested